



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-22052026-272798  
CG-OR-E-22052026-272798

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2520]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2026/ज्येष्ठ 1, 1948

No. 2520]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2026/JYAISTHA 1, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 22 मई, 2026

का.आ. 2612(अ).— रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) की धारा-20 एफ (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका की मद सं. (2) में उल्लिखित अधिकारी को मध्यस्थ के रूप में ओडिशा राज्य में नीचे दी गई तालिका की मद सं. (3) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के क्षेत्र के संबंध में, इस प्रकार के कार्यों हेतु, प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करती है, जो, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

क्रम संख्या	मध्यस्थ	विशेष रेलवे परियोजना का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1	जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, रायगड़ा	पत्र संख्या RDM-LAB-MISC-0009-2026-18323 /R & DM, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, ओडिशा सरकार, दिनांक 29.04.2026 के अनुसार, वाल्टेयर मंडल, पूर्व तट रेलवे के अंतर्गत "नौपाड़ा-गुणपुर नई रेल लाइन का

		थेरूबाली तक विस्तार (73.623 कि.मी.) नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन परियोजना” हेतु मध्यस्थ (Arbitrator) की नियुक्ति।
--	--	--

[फा. सं. CE/CON/II/VSKP/GNPR-THV/Arbitrator]

एच. अनंथरामन, मुख्य अभियंता (निर्माण-II)

**MINISTRY OF RAILWAYS**  
**[East Coast Railway (Construction)]**

**NOTIFICATION**

Bhubaneswar, the 22nd May, 2026

**S.O. 2612(E).**— In exercise of the powers, conferred by Section-20F(6) of The Railways (Amendment) Act, 2008(11 of 2008) the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the Table below as the Arbitrator to perform the function of such authority under said Act in respect of area of the Special Railway Project mentioned in column (3) of the Table below in the state of **Odisha** with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Sl. No.	Arbitrator	Area of the Special Railway Project
(1)	(2)	(3)
1	Collector and District Magistrate, Rayagada	As per Letter No. RDM-LAB-MISC-0009-2026-18323 /R&DM, Revenue and Disaster Management Dept. Dt.29.04.2026 Govt. of Odisha. Appointment of Arbitrator for “Extension of Naupada-Gunupur New line up to Therubali (73.623Km) for New B.G Railway Line Project” on Waltair Division, East Coast Railway.

[F. No. CE/CON/II/VSKP/GNPR-THV/Arbitrator]

H. ANANTHARAMAN, Chief Engineer (Construction-II)